पत्रांक ..../एन0डी0

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– आर्थिक अपराध इकाई बिहार, पटना में दो काण्डों में गांजा के साथ जब्त दो ट्रकों– **एच0आर–55डी/6187** एवं **एच0आर0–38 एल0/1824** की सार्वजनिक निलामी द्वारा बिक्री की सूचना को प्रचारित/प्रसारित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस कार्यालय में एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अन्तर्गत पंजीकृत दो काण्डों में जब्त ट्रकों(1) एच0 आर–55डी/6187 (दस चक्का) (2) एच0आर0–38 एल0/1824 (छः चक्का) का माननीय न्यायालय ए0डी0जे0–VI से प्राप्त आदेश एवं मादक पदार्थ निष्पादन समिति की दि0–08.04.17 को हुए बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सार्वजनिक निलामी से निष्पादन किया जाना है। सार्वजनिक नीलामी की तिथि 04.10.2017 को 3.00 बजे दिन से आर्थिक अपराध इकाई, पटना में निर्धारित की गई है। तदनुसार सार्वजनिक नीलामी सूचना प्रारूप आठ प्रतियों में सी0डी0 सहित साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुराध है कि उक्त सार्वजनिक नीलामी की सूचना को समय पर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रो मे प्रकाशित कराकर इसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा की जाए। **अनुलग्नकः–यथोपरि।**

पुलिस अधीक्षक
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः–आई0टी0, मैनेजर (पुलिस टेन्डर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना का कार्यालय
डा0 श्रीकृष्ण सिंह पथ, पटना ।
सार्वजनिक वाहन नीलामी सूचना
विज्ञापन सं0–002/2017

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अन्तर्गत पंजीकृत दो काण्डों में जब्त ट्रकों (1) एच0आर–55डी–6187 (दस चक्का) (2) एच0 आर0–38 एल0–1824 (छः चक्का) का माननीय न्यायालय से प्राप्त आदेश एवं निष्पादन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में सार्वजनिक निलामी **दिनांक–04/10/2017 को 03:00** बजे दिन में निम्न शर्तों के अधीन की जाएगी ।

- गाडी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में दी जायेगी ।
- कोई भी डाक बोलने के इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में उक्त गाड़ियों का निरीक्षण,आर्थिक अपराध इकाई परिसर, पटना में आकर स्वंय या शाखा प्रभारी के मदद से कर सकते हैं।
- गाड़ियों के निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को नीलामी के प्रारम्भ होने के पूर्व वाहन सं0–(1) एच0आर–55डी–6187 (दस चक्का) के लिए धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) के रूप में 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार रूपये) तथा वाहन सं0–(2) एच0आर0–38 एल0–1824 (छः चक्का) के लिए (धरोहर राशि) 50,000/–(पचास हजार रूपये) नीलामी प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व नीलामी समिति के पास पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के नाम चेक से जमा करना होगा। नीलामी सम्पन्न होने के बाद असफल डाक बोलने वाले को तुरन्त उक्त राशि वापस कर दी जायेगी। सफल डाक बोलने वाले द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट राशि को डाक राशि में समायोजित कर दी जायेगी ।
- गाड़ियों के नीलामी सम्पन्न होने के बाद डाक बोलने वाले को पूरी डाक राशि नगद रूप में उसी समय जमा करना होगा । यदि तत्काल पूरी राशि जमा करने में कठिनाई हो तो आधी रकम जमा करना होगा । शेष राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा अन्यथा धरोहर राशि जप्त करते हुए नीलामी की कार्रवाई रद्द की जा सकती है।
- नीलामी की गयी गाड़ियों को डाक बोलने वाले को तभी सुपुर्द की जायेगी जब वे डाक की पूरी राशि जमा करा देंगे। सफल डाक बोलने वाले अगर गाड़ियों की डिलेवरी, निर्धारित अवधि के अन्दर शेष राशि जमा कर नहीं लेते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई पूरी राशि जप्त की जा सकती है।
- निलामी के बाद टैक्स देनदारी सफल बोलीदाता की होगी।
- सफल बोलीदाता को स्वयं की पहचान एवं स्थाई पता संबंधी दस्तावेज के साथ–साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो प्रस्तुत करने होंगे।
- अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित है कि सरकारी हित में किसी डाक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। अधोहस्ताक्षरी को यह भी अधिकार होगा कि बिना कारण बताये नीलामी की कार्रवाई संशोधित, स्थगित या रद्द कर सकते हैं ।

पुलिस अधीक्षक
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार, पटना।